न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या :– 44 / 2012 (2020 / 00153 जीसीएमएस)

सरोज कंवर पत्नि वीर सिंह जाति राजपूत साकिन आंतरोली कलां तहसील डेगाना जिला नागौर राज.।

....वादीया

बनाम

1. वीर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति राजपूत साकिन आंतरोली कलां तहसील डेगाना जिला नागौर राज.।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1. श्री मदन ज्याणी वकील वादी।
2. श्री पर्वत पूनियां वकील प्रतिवादी संख्या 1

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 16.08.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के स्थाई एवं पंजीकृत पते वही हैं जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित हैं। तहसील घड़साना के चक 1 एम एल के – ए के प.नं. 49 / 63 के मु.नं. 47 के किला नं. 15 ता 25 की कुल 2.605 हैक्टेयर कमांड कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 1 एम एल के – ए तहसील घड़साना के प.नं. 49 / 63 के मु.नं. 47 की 21 बीघा भूमि वादीया के ससुर मोहनसिंह को आवंटन हुई थी। वादीया के ससुर मोहनसिंह के जीवन काल में उक्त भूमि पर मोहनसिंह काबिज रहे एवं अपनी देख रेख में काश्त करवाते रहे। वादीया के ससुर मोहनसिंह के देहान्त के बाद उक्त प.नं. 49 / 63 की 21 बीघा भूमि में से किला नं. 15 ता 25 की 2.605 हैक्टेयर कमांड विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के भाई के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 ने शादी के थोड़े समय बाद वादीया को बिना किसी कारण के घर से निकाल दिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने विधि विरूद्ध एवं शुरू से ही शून्य वादीया के जीवनकाल में दूसरी औरत से शादी कर ली। प्रतिवादी संख्या 1 दूसरी औरत को अपने साथ रखने लगा। वादीया द्वारा न्यायालयों में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही की गई तो प्रतिवादी संख्या 1 जो प्रोफेसर के पद पर एवं निदेशक के पद पर कृषि विश्वविद्यालय सरदारकरूसीनगर में कार्यरत है, उन्होंने विवादित भूमि की देखभाल एवं विवादित भूमि से उत्पन्न आय वादीया को

उपखण्ड अधिकारी
घडसाना

सहमति से देना तय कर दिया ताकि वादीया अपना जीवन यापन विवादित कृषि भूमि से उत्पन्न आय से अपना जीवन यापन कर सके। वादीया उक्त कृषि भूमि को हिस्सा ठेका पर प्रतिवर्ष देकर इस भूमि की आय से अपना जीवन यापन करती चली आ रही है। ठेका पर वादीया द्वारा आज भी फसल काश्त करवाई हुई है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में मिली है विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन वादीया का भी विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा कानूनन वादीया के ससुर की मृत्यु के बाद में हिस्सा बनता है क्योंकि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है एवं वादीया ही विवादित भूमि को अपनी देखरेख में काश्त करवाती है। दिनांक 02.05.2012 को वादीया विवादित भूमि में आई क्योंकि रबी की फसल पककर निकल चुकी थी इसलिये वादीया रबी की फसल में से हिस्सा लेने एवं आगामी वर्ष के लिये विवादित भूमि को हिस्सा ठेका पर देने हेतु चक में आई तो वादीया को विवादित भूमि के हिस्सा ठेके के काश्तकारों ने बताया कि आपने उक्त भूमि को बेचान कर दिया है क्या। तो वादीया ने काश्तकारों को कहा कि हमने इस भूमि को बेचान नहीं किया है तो चक के काश्तकारों ने बताया कि काफी व्यक्ति इस भूमि को देखने आ रहे हैं एवं उन व्यक्तियों द्वारा यह बताया जाता है कि विवादित भूमि की बिकवाली निकाली हुई है। यह बिकवाली आपके पति वीर सिंह द्वारा निकाली गई है। वादीया को यह सुनकर बड़ा अचम्भा हुआ एवं वादीया ने उसी समय अपने पति से फोन पर सम्पर्क किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से पूछा कि आप विवादित भूमि जो पैतृक सम्पति है एवं इस भूमि को आपने सहमति से मुझ वादीया को जीवन यापन के लिये दे रखी है इसे क्यों बेचान कर रहे हो तो प्रतिवादी संख्या 1 आवेश में आ गया एवं वादीया को कहा कि भूमि मेरे नाम से है मैं इस भूमि को आगे रहन व बैय करूंगा एवं आपको बेदखल करवाउंगा। आपको जो करना है करलो। बस यही वाद कारण है जो प्रतिवादी संख्या 1 की धमकी से वादीया को प्राप्त है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में मिली है। विवादित भूमि में वादीया का वादीया के ससुर के देहान्त के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक 1/2 हिस्सा कानूनन वादीया प्राप्त करने की अधिकारी है। क्योंकि वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की विवाहिता पत्नि है। वादीया विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार कृषक है। क्योंकि वादीया के ससुर मोहनसिंह का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि मोहनसिंह को आवंटन थी एवं मोहनसिंह के देहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में मिली है। इसलिये वादीया विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा के खातेदार कृषक की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाने की अधिकारी है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में मिली है। विवादित भूमि में वादीया का वादीया के ससुर के देहान्त के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक 1/2 हिस्सा कानूनन वादीया प्राप्त करने की अधिकारी है। क्योंकि वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की विवाहिता पत्नि है। वादीया विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार कृषक है एवं

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीया को अपनी सहमति से वादीया के जीवन यापन के लिये दी हुई है। वादीया द्वारा उक्त भूमि पर काश्त करवाई जाती है एवं मौका पर वादीया द्वारा फसल काश्त करवाई गई है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को अपने नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड का नाजायज फायदा उठाकर रहन बैय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर देता है एवं वादीया को बेदखल कर देता है तो वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिये वादीया को स्थाई निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। इसलिये वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि विवादित भूमि तहसील घड़साना के चक 1 एम एल के – ए के प.नं. 49/63 के मु.नं. 47 के किला नं. 15 ता 25 की कुल 2.605 हैक्टेयर कमांड कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा का वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से 1/2 हिस्सा पर अंकन प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाकर वादीया के नाम 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त भूमि तहसील घड़साना के चक 1 एम एल के – ए के प. नं. 49/63 के मु.नं. 47 के किला नं. 15 ता 25 की 2.605 हैक्टेयर कमांड कृषि भूमि में वादीया के अधिकार, अधिपत्य, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बेजा मदाकलत करने अथवा किसी अन्य से करवाने एवं उक्त वर्णित कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय, हस्तान्तरित करने बाज व ममनु रहे।

वाद पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। तत्पश्चात् दिनांक 21.09.2012 को यह प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 का स्थाई पता गलत अंकित किया गया है। वादीया गांव लोहरवाड़ा तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थाई रूप से निवास करती है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 वीर सिंह सरदार करूसीनगर एम0पी0 में निवास करता है। वादीया ने पक्षकारान का स्थाई पता जान बूझ कर गलत अंकित किया है। वाद पत्र की मद संख्या 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 3 स्वीकार है। यह कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त नहीं होकर वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 वीरसिंह की स्वअर्जित सम्पति है। वादपत्र की मद संख्या 4 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 वीरसिंह ने

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

वादीया को वादग्रस्त भूमि की आय देना कभी भी स्वीकार नहीं किया था। भूमि की देखभाल वादीया कभी भी नहीं करती थी बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 वीरसिंह स्वयं करता था। वादीया का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। वाद पत्र की मद संख्या 5 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त नहीं होकर वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई है जो कानूनन उसकी स्वयं अर्जित सम्पत्ति मानी जायेगी। वाद पत्र की मद संख्या 6 गलत बयानी एवं मनगढंत होने के कारण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 7 तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किये जाने के कारण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 8 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 9 व 10 कानूनी है। अतिरिक्त कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया श्रीमति सरोज कंवर वादग्रस्त भूमि की ना तो टिनेन्ट या सब टिनेन्ट है व ना ही वह इस भूमि की कब्जाधारी है। इसलिए उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत रिकॉर्डेड टिनेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 वीर सिंह के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वह इस वाद में स्ट्रेन्जर परसन है। वाद पत्र कुसंयोजन आधार पर काबिले खारिज है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी को विरासत में प्राप्त नहीं होकर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई है। इसलिए वह उसकी स्वअर्जित सम्पति है जिसमें वादीया का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीया को यदि अपने पति से भरण – पोषण के लिए कोई राशि चाहिए तो उसके विरूद्ध अलग से कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है तथा पति के जीवित रहते हुए पत्नि किसी भी प्रकार से अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दावा मय अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद पत्र खारिज किया जावे।

जवाब स्टेट प्राप्त नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया एवं दिनांक 11.06.2014 को प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1. आया कि वादाधीन कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा की वादीया खातेदार कृषक घोषित होने एवं इस भूमि के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है ?

.....वादी

2. आया कि वादीया वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया हुआ होने पर एवं कब्जा काश्त नहीं होने पर काबिल खारिज है ?

.....प्रतिवादी

अनुतोष?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम करने के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादीगण के साक्ष्य लिए गए। साक्ष्यवादी में वादी सरोज कंवर स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया एवं महावीर सिंह पुत्र जयसिंह राठोड़ जाति राजपूत साकिन मेड़ता रोड़, तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर एवं विरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत साकिन हाल

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

काजरी तहसील व जिला पाली के शपथ–पत्र पेश किए गये जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी प्रदर्श–2, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 17.01.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–3 प्रदर्शित करवाए गए। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी वीर सिंह का शपथ–पत्र पेश किया गया जिस पर वकील वादी द्वारा जिरह की गई। दस्तावेजी साक्ष्य मे भूमि की वसीयत, नामान्तरण, पानी की पर्चियां, सिंचाई कर रसीद, राजस्व कर रसीद प्रदर्शित करवाए गए।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया के पति प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि अपने पिता से प्राप्त होने के कारण यह भूमि पैतृक भूमि है। प्रतिवादी ने वादीया को घर से निकाल दिया एवं दूसरी शादी कर ली जो कि शुरू से ही शून्य है। जिला न्यायालय से वादीया एवं प्रतिवादी का तलाक मन्जूर हुआ एवं तत्पश्चात् उच्च न्यायालय से तलाक निरस्त हुआ। तलाक मन्जूर होने से पहले ही प्रतिवादी ने दूसरी शादी कर ली जो कि विधि विरूद्ध है। उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रतिवादी द्वारा वादीया को भरण पोषण हेतु गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पैतृक भूमि होने के कारण इस भूमि में वादीया 1/2 हिस्से की हकदार है। वादग्रस्त भूमि वादीया के ही कब्जा में है व वादीया के द्वारा ही उक्त भूमि की देखभाल की जाती है। साक्ष्य के रूप में 3 गवाह पेश किए हैं। जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वो किसी भी प्रकार से वाद पत्र को खण्डित नहीं कर रहे हैं बल्कि वाद पत्र को सिद्ध कर रहे हैं। वादीया सरोज के भाई को भी गवाह के रूप में पेश किया गया है जिसने भी कथन किया है कि मेरी बहन को शादी के बाद घर से निकाल दिया गया व बिना तलाक वीर सिंह ने दूसरी शादी कर ली। उक्त साक्ष्यों से तनकी संख्या 1 को वादीया के पक्ष में पूर्णतः सिद्ध किया गया है एवं तनकी संख्या 2 भी प्रतिवादी के पक्ष में नहीं है क्योंकि मैंने गलत तथ्यों पर दावा पेश नहीं किया है। इसलिए वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया को विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा की खातेदार कृषक घोषित किया जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी को विरासत से प्राप्त नहीं हुई जबकि वसीयत से प्राप्त हुई है। इसलिए वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की स्वअर्जित भूमि है जिसमें वादीया का कोई हक नहीं है एवं पति के जीवित रहते पत्नी का पति की भूमि पर कोई हक नहीं होता है। वादीया वादग्रस्त भूमि पर कभी भी काबिज नहीं रही। साक्ष्य के दौरान मैंने जो दस्तावेज प्रदर्श करवाए हैं उनसे प्रतिवादी का कब्जा पूर्णतः साबित होता है। वादीया द्वारा वाद पत्र में लिखित कथन में कहीं भी भरण पोषण नहीं देने की बात नहीं की है। केवल बहस के दौरान ही वकील वादीया द्वारा यह कथन किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वादीया को लगातार भरण पोषण भी दिया जा रहा है। वादीया कोई टिनेन्ट या सब टिनेन्ट नहीं है जिस कारण से उसे राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

काश्तकारी अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत वाद पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में से वादीया का कोई हिस्सा नहीं होने व वादीया का कब्जा काश्त नहीं होने व वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद पत्र को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का बिन्दुवार विश्लेषण निम्न प्रकार से पाया जाता है–

- **तनकी संख्या 1**: वादाधीन कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा की वादीया खातेदार कृषक घोषित होने एवं इस भूमि के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है?, को सिद्ध करने का भार वादी पर था। विद्वान अधिवक्ता वादीया द्वारा वादीया स्वयं, महावीर सिंह पुत्र जयसिंह राठोड़ एवं विरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के शपथ–पत्र पेश किए गये जिन पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। दौराने जिरह वादीया सरोज कंवर स्वयं ने यह कथन किया है कि मुझे ध्यान नहीं है कि वीरसिंह के पिता मोहनसिंह ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि व अपनी चल अचल सम्पति की वसीयत अपने बेटों के नाम की हो एवं वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण वीरसिंह व मदनसिंह के नाम मोहनसिंह की वसीयत के आधार पर दर्ज हुआ हो। प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी को अपने पिता मोहनसिंह से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। इस तथ्य का विद्वान अधिवक्ता वादीया द्वारा किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के पिता मोहनसिंह द्वारा की गई वसीयत के आधार पर हुए नामान्तरण से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। वकील वादीया द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है जबकि उच्च न्यायालय द्वारा वादीया एवं प्रतिवादी के तलाक को निरस्त कर दिया गया है एवं माननीय न्यायालय द्वारा वादीया को भरण पोषण देने हेतु प्रतिवादी को पाबंद किया गया है लेकिन प्रतिवादी की ओर से कोई भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है जबकि प्रतिवादी का यह कथन है कि प्रतिवादी द्वारा वर्ष 1999 से लगातार वादीया को भरण पोषण दिया जा रहा है। इस वाद पत्र में भरण पोषण को कहीं भी प्रश्नगत नहीं किया गया है। केवल बहस के दौरान ही वकील वादीया ने इस तथ्य को प्रश्नगत किया है। इसलिए न्यायालय के मतानुसार अगर वादीया को भरण पोषण हेतु राशि प्राप्त नहीं हो रही है तो वादीया इस संबंध में माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। भरण पोषण देने या नहीं देने से इस वाद में वादीया के हक व अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने के बाद न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रतिवादी को वसीयत से प्राप्त भूमि में एवं पति के जीवित रहने

उपखण्ड अधिकारी
घडसाना

के दौरान वादीया को पति की भूमि में से कोई घोषणात्मक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादीया का कोई हक व अधिकार नहीं है। इस वाद में वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार प्रतिवादी है न कि वादीया। आरटीए 1955 की धारा 188 में यह प्रावधान है कि "(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction. (2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely- (a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion. (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings." चूंकि वादीया विवादित भूमि की खातेदार कृषक नहीं है, इसलिए वादीया विवादित भूमि पर किसी प्रकार का व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधान इस वाद पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध इस धारा के अन्तर्गत दावा नहीं लाया जा सकता है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती है। अतः यह तनकी वादीया के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

- **तनकी संख्या 2:** वादीया वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया हुआ होने पर एवं कब्जा काश्त नहीं होने पर काबिल खारिज है?, को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। दौराने जिरह वादीया सरोज कंवर स्वयं ने यह कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि काश्त के लिए किसी जाट को दे रखी है जिसका नाम मुझे पता नहीं है व पानी की बारी का समय भी मुझे पता नहीं है व सिंचाई कर व राजस्व कर आदि काश्तकार ही भरता है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्र में जिरह के दौरान प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि पिछले तीन–चार वर्षों से शिवनारायण गोदारा से काश्त करवाता हूं। उक्त भूमि की पानी की बारी 6 घन्टे है। पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि सिंचाई कर रसीद, राजस्व कर रसीद, पानी पर्ची आदि प्रतिवादी के नाम से है जिससे प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादीया का न होकर प्रतिवादी का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा केवल अभिलिखित खातेदार ही प्राप्त कर सकता है। इस वाद में वादीया ना तो अभिलिखित खातेदार है एवं ना ही वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कब्जा है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीया बहक प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

उपरोक्तानुसार तनकीवार विश्लेषण करने के उपरान्त पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में से वादीया का कोई हक व अधिकार साबित नहीं होने के कारण वादीया को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है एवं वादीया का कब्जा नहीं होने के कारण व वादीया अभिलिखित खातेदार नहीं होने के कारण धारा 188 का भी अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने पर अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 ,रूल 6–7,जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम घड़साना जिला श्रीगगांनगर (राजस्थान)

ब इजलास अभिलाषा आर0ए0एस0

सरोज कंवर बनाम वीर सिंह आदि

दावा बाबत् 88, 188 आरटी एक्ट

मुकदमा नं :– 44 / 2012 (2020 / 00153 जीसीएमएस)

यह मुकदमा आज वास्ते डिक्री अदालत में उपस्थित वकील वादी श्री मदन ज्याणी एवं वकील प्रतिवादी श्री पर्वत पूनियां की गवाही में वादी सरोज कंवर एवं प्रतिवादीगण वीर सिंह आदि के प्रकरण में आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादग्रस्त भूमि में से वादीया का कोई हक व अधिकार साबित नहीं होने के कारण वादीया को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है एवं वादीया का कब्जा नहीं होने के कारण व वादीया अभिलिखित खातेदार नहीं होने के कारण धारा 188 का भी अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने पर अस्वीकार किया जाता है।

यह डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 08 सन् 2022 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
घडसाना

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी	02–00		स्टाम्प वकालतनामा	01–00	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00		स्टाम्प अर्जी	02–00	
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान					
योग			**योग**		

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , वाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।